नगर परिषद, तिजारा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/TIJARA/FIRENOC/2025-26/52805

जारी दिनांकः 10-JUN-2025 वैधता दिनांकः 09-JUN-2027

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः TILAK RAJ CHOUDHARY

आवेदक का पताः THE SAGAR SCHOOL BAGHOR TIJARA

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **THE SAGAR SCHOOL, 01, TSS, BAGHOR, TIJARA, KHAIRTHAL-TIJARA, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा
2. फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 5000 रूपये पैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
3. अग्निशमन प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावे एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।
4. किसी भी प्रकार की आतिाबाजी उक्त स्थल के अन्दर न की जायें।
5. समय– समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड़ में होने वाले संशोधनो की भी पालना करनी होगी।
6. उक्त स्थल पर निर्माण कार्य के समय सुरक्षा मापदंडों की पूर्ण पालना करनी होगी।
7. नेशनल बिल्डिंग कोड भाग–4 में होने वाले संशोधनों की पालना करना अनिवार्य होगा।
8. उक्त एनओसी किसी भी भूमि संबंधित विवाद हेतु मान्य नहीं होगी।
9. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
10. समय– समय पर अग्निशमन यंत्र का रख–रखाव किया जायेगा।
11. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन या परिसर में नही रखी जावेगी।
12. किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा , किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए नगर परिषद तिजारा प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा
13. प्रत्येक 6 माह मे फायर एक्सपर्ट मॉक ड्रिल करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना नगर परिषद तिजारा को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है
14. अग्निशमन यंत्रो के रख–रखाव में कमी एवं औचक निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
15. नक्शें में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो आपके नक्शें को पुनः अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।
16. राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
17. भवन का मुख्य/अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।

Signed by: Manisha Yadav
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: TIJARA, Rajasthan
Date: 10/06/2025 16:18:42

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, तिजारा